



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42349 वर्ष 2025

आबिद उर्फ काना

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद शादान, मोहम्मद असलम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष मेहरोत्रा और प्रतिवादी राज्य के विद्वान विधि अधिकारी की दलीलें सुनीं और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमा अपराध संख्या

182/2025, धारा 8/21, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गगलहेरी, जिला सहारनपुर के अंतर्गत मामले में जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि लगभग 13.04 ग्राम स्मैक आवेदक के कब्जे से बरामद होने का आरोप है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। कोई रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फँसाया गया है। आवेदक 19.08.2025 से जेल में है। उनका कहना है कि आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में दिया गया है। वह निवेदन करता है कि उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या जमानत पर रिहा होने की स्थिति में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त मामले में आरोपी **आबिद उर्फ काना** को निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए: ब्याज पर एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने होंगे, प्रत्येक की राशि इतनी ही हो, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। ब्याज पर रिहा होने के बाद, आवेदक निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:

1. आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

6 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।